प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, झालावाड़ थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :– 2023
प्र0सू0रि0 सं0 230/23 दिनांक 23/8/2023

2. (1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा .....7,7ए.....

(2) अधिनियम.....भा0द0सं0.....धाराऐं .....120बी.....

(3) अधिनियम.....धाराऐं.....

(4) अन्य अधिनियम एवं ..... धाराऐं .....

3. (क) घटना का दिन :– मंगलवार दिनांक :– 22.08.2023
(ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– 17.08.2023 समय :– 01.05 पी.एम.
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या .....460..... समय.....8:20.....

4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) लिखित प्रार्थना पत्र

5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
(क) थाने से दिशा एवं दूरी –चौकी ए.सी.बी. झालावाड़ से करीब 60 कि0मी0 बजानिब दक्षिण–पश्चिम दिशा बीट संख्या.....जुरामदेही सं.....
(ख) पता:– नगरपालिका मण्डल पिड़ावा की भूमि शाखा का कमरा नम्बर 06 नगर, जिला झालावाड़ (राज0)

(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम.....जिला .....

6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
(क) नाम :– श्री सोहनलाल यादव
(ख) पिता/पति का नाम :– श्री अमरलाल जाति जाटव
(ग) जन्म तिथि/उम्र :– 62 साल
(घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
(ड़) पासपोर्ट संख्या.....जारी करने की तिथि.....जारी करने का स्थान
(च) व्यवसाय –
(छ) पता :– मकान नं0 18 हरीशचन्द्र कॉलोनी, झालरापाटन जिला झालावाड़ (राज0)

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

1. श्री अर्जुन देव पुत्र श्री कैलाशचन्द जाति पाटीदार उम्र 30 साल निवासी डूंगरगांव तहसील/थाना असनावर जिला झालावाड़ हाल कनिष्ठ अभियंता नगरपालिका मण्डल पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज0)
2. श्री उज्ज्वल तिवारी पुत्र श्री श्यामलाल तिवारी जाति ब्राह्मण उम्र 23 साल निवासी हेमड़ा तहसील/थाना सुनेल जिला झालावाड़ हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी) नगरपालिका मण्डल पिड़ावा जिला झालावाड़(राज0) तथा अन्य

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्य: – 40,000 रूपये .....
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो).....
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

महोदय,

हालात् घटना क्रम इस प्रकार है कि दिनांक 17.08.2023 को परिवादी श्री सोहनलाल यादव पुत्र श्री अमरलाल जाति जाटव उम्र 62 वर्ष निवासी मकान नं0 18 हरीशचन्द्र कॉलोनी, झालरापाटन जिला झालावाड़ (राज0) ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मय स्वप्रमाणित आधार कार्ड की फोटोप्रति मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश की। परिवादी श्री सोहनलाल यादव के प्रार्थना

पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा प्रार्थना पत्र स्वंय द्वारा अपने हस्तलेख में लिखा होना एवं उस पर स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया है तथा परिवादी श्री सोहनलाल यादव ने मजमून दरियाफ्त पर बताया कि उसका पिड़ावा में अमरदीप पेट्रोलियम नाम से पेट्रोल पम्प है तथा पेट्रोल पम्प के पास ही उसकी तीन दुकाने भी पूर्व से ही बनी हुई है। तीनों दुकानों के ऊपर दूसरी, तीसरी मंजिल का निर्माण कार्य कराने के लिए नगरपालिका पिड़ावा से निर्माण स्वीकृति जारी कराने हेतु उसने आज दिनांक से 10–15 दिन पहले निर्माण स्वीकृति की फाईल नगरपालिका पिड़ावा में आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर लगा रखी है। निर्माण स्वीकृति जारी कराने सम्बंधी शुल्क राशि जमा कराने के लिए फाईल के साथ चेक भी लगाया हुआ है। उसकी निर्माण स्वीकृति जारी कराने की फाईल पूर्ण होने के बाद भी अभी तक नगरपालिका पिड़ावा द्वारा निर्माण स्वीकृति जारी नहीं की गई है। उसने नगरपालिका पिड़ावा में जाकर पता किया तो ज्ञात हुआ कि उसकी फाईल श्री अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता ने रोक रखी है। जिस पर वह श्री अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता से जाकर मिला तथा उसकी निर्माण स्वीकृति जारी कराने की फाईल को निर्माण स्वीकृति जारी कराने के लिए आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध किया तो उन्होने उससे कहा कि ऐसे थोड़े ही निर्माण स्वीकृति जारी हो जाती है। इस पर परिवादी ने पूछा कि सर फिर मुझे क्या करना होगा तो श्री अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता ने उसको बताया कि मुझे 50,000रूपये रिश्वत राशि के रूप में देने पड़ेगें। रिश्वत राशि के 50,000रूपये की व्यवस्था कर आ जाओ, तीनों दुकानों के ऊपर दूसरी, तीसरी मंजिल पर निर्माण कार्य कराने की निर्माण स्वीकृति उसी दिन जारी हो जायेगी। यदि 50,000रूपये रिश्वत राशि नहीं दे सकते हो तो, नगरपालिका में चक्कर काटते रहो, कोई निर्माण स्वीकृति जारी नहीं होने वाली है। परिवादी ने बताया कि वह श्री अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता को निर्माण स्वीकृति जारी कराने के जायज काम के लिए 50,000रूपये की रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं तथा उसको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता है तथा उसकी श्री अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता से कोई पुरानी रंजिश नहीं है व ना ही उधारी का कोई लेनदेन बकाया है। परिवादी श्री सोहनलाल यादव द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 7 की परिधि में आना पाया जाने पर समय 01:55 पीएम पर श्री गोपाल लाल हैड कॉनि0 नं0 26 से मालखाना में रखे हुए ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को निकलवाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा चेक किया जाकर उसमें मेमोरी कार्ड डालकर परिवादी श्री सोहनलाल यादव को चालू बन्द करने की विधिवत् प्रक्रिया ऑपरेटिंग करना भलीभांति समझाकर सुपुर्द कर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता के पास नगरपालिका पिड़ावा मय ब्यूरो कार्यालय के कॉनि0 श्री पवन कुमार कॉनि0 28 को निगरानी रखने हेतु परिवादी श्री सोहनलाल यादव की स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठाकर पिड़ावा के लिए आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। रवानगी से पूर्व फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 07:15 पीएम पर परिवादी श्री सोहनलाल यादव तथा श्री पवन कुमार कानि0 नं0 28 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये तथा श्री पवन कुमार कानि0 ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड पेश किया। परिवादी श्री सोहनलाल यादव से रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप होने के बारे में पूछने पर परिवादी ने रूबरू श्री पवन कुमार कानि0 बताया कि आपके निर्देशानुसार हम दोनों मेरी स्कॉर्पियों गाड़ी में बैठकर रवाना होकर पिड़ावा कस्बे के निकट स्थित मेरे अमरदीप पेट्रोल पम्प पर पहुंचे जहां से स्कॉर्पियों गाड़ी को पेट्रोल पम्प पर ही छोड़कर मैं श्री पवन कुमार कानि0 को अपनी मोटर साईकिल पर बैठाकर पेट्रोल पम्प से रवाना होकर नगरपालिका पिड़ावा के बाहर पहुंचे। जहां पर मैंने श्री पवन कुमार कानि0 को साईड में एकांत में खड़ा होकर मेरा इंतजार करने के लिए कहा तथा मैं अकेला अपनी मोटर साईकिल से नगरपालिका पिड़ावा पहुंचा तथा श्री अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता के कक्ष में पहुंचा तो वहां श्री अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता के पास एक अन्य व्यक्ति भी बैठा हुआ था। मैंने नमस्कार किया तथा मेरी निर्माण स्वीकृति जारी करने की फाईल के बारे में पूछा तो उन्होने 50,000रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा मेरे कहने पर 40,000रूपये रिश्वत राशि देने पर निर्माण स्वीकृति जारी करने पर राजी हो गये तथा कहा कि कल मैं बाहर रहूंगा। मैंने श्री अर्जुन देव पाटीदार से मेरे निर्माण स्वीकृति जारी करने सम्बंधी काम करने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप के दौरान आप द्वारा सुपुर्दशुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर लिया था। श्री अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता के पास एक अन्य व्यक्ति भी बैठा हुआ था जो भी बीच–बीच में बोल रहा था परन्तु मैं उसका नाम नहीं जानता हूं। मैंने नगरपालिका के बाहर आकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर बन्द कर लिया था तथा उसके बाद मैं अपनी मोटरसाईकिल पर बैठकर नगरपालिका पिड़ावा से रवाना होकर नगरपालिका के बाहर एकांत में मेरा इंतजार कर रहे श्री पवन कुमार कानि0 के पास पहुंचा तथा उनको डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर सारी बात बतायी थी। तत्पश्चात् मैं श्री पवन कुमार कानि0 को अपनी मोटरसाईकिल पर बैठाकर मेरे पेट्रोल पम्प पर आ गया। जहां से वापिस मेरी स्कॉर्पियों गाड़ी में बैठकर ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ आये है। परिवादी श्री सोहनलाल यादव द्वारा पूछताछ के दौरान बताये गये कथनों की निगरानी हेतु हमराह गये श्री पवन कुमार कानि0 ने भी पुष्टि की। परिवादी श्री सोहनलाल यादव ने बताया कि कल आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार

कनिष्ठ अभियंता नगरपालिका पिड़ावा नहीं आयेगा तथा उसके बाद दो दिन का सरकारी अवकाश पड़ रहा है। अतः मैं दिनांक 21.08.2023 सोमवार को सुबह 8.00 बजे ट्रेप कार्यवाही कराने के लिए रिश्वत राशि के 40,000रूपये लेकर उपस्थित आ जाऊंगा। तत्पश्चात् परिवादी श्री सोहनलाल यादव को अब तक की कार्यवाही के सम्बंध में गोपनीयता बरतने तथा दिनांक 21.08.2023 को सुबह 8.00 बजे आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता के बारे में नगरपालिका पिड़ावा आने के सम्बंध में पता कर रिश्वत राशि के 40,000रूपये लेकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। श्री पवन कुमार कानि0 28 द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन सम्बंधी रिकॉर्डेड डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड श्री गोपाल लाल हैड कानि0 26 को बुलाकर सुपुर्द कर सुरक्षित मालखाना में रखने की हिदायत दी गई। आईन्दा परिवादी श्री सोहनलाल यादव एवं स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डेड वार्ता को ब्यूरो कार्यालय के कम्प्यूटर में डालकर सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मुर्तिब की जावेगी। दिनांक 20.08.2023 समय 05.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री सोहनलाल यादव ने जरिये मोबाईल कॉल कर अवगत कराया मेरे द्वारा आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि के 40,000रूपये की व्यवस्था हो गयी है तथा मैंने अपने स्तर पर जानकारी की तो ज्ञात हुआ कि आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता कल दिनांक 21.08.2023 को दोपहर पश्चात् अपने कार्यालय नगरपालिका पिड़ावा पर ही मिलेगा। इस पर परिवादी श्री सोहनलाल यादव को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने रिश्वत राशि के 40,000रूपये लेकर ट्रेप कार्यवाही हेतु दिनांक 21.08.2023 को प्रातः 08.00 बजे ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने के लिए जरिये मोबाईल वार्तालाप कर पाबन्द किया जिस पर उसने समय पर रिश्वत राशि लेकर ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पर उपस्थित होने के लिए बताया। दिनांक 21.08.2023 को ट्रेप कार्यवाही की जानी है। अतः दो स्वतंत्र सरकारी गवाहान की तलबी हेतु कार्यालय उप वन संरक्षक, वन विभाग, झालावाड़ के नाम कार्यालय पत्रांक एसपीएल–01 दिनांक 20.08.2023 मुर्तिब कर श्री देवदान सिंह कानि0 425 को पत्र देकर कार्यालय उप वन सरंक्षक वन विभाग, झालावाड़ जाकर गवाहान को पाबन्द कराने हेतु रवाना किया तथा समय 06:30 पीएम पर श्री देवदान सिंह कानि0 425 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया तथा गोपनीय कार्यवाही हेतु कार्यालय उप वन संरक्षक, वन विभाग, झालावाड़ के श्री अक्षय कुमार पुत्र स्व0 श्री राधेश्याम जाति बैरवा उम्र 24 साल निवासी ग्राम किशनपुरिया तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन संरक्षक, वन विभाग, झालावाड़ (राज0) व श्री महावीर पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल जाति गुर्जर उम्र 35 वर्ष निवासी बसेड़ा मोहल्ला ओल्ड ब्लॉक स्कूल के पास, झालावाड़ हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन संरक्षक, वन विभाग, झालावाड़ (राज0) को पाबन्द कर ब्यूरो कार्यालय पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहान का पत्रांक 9559 दिनांक 20.08.2023 मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया। पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 21.08.2023 समय 08.00 एएम पर तलविदा दो स्वतंत्र गवाहान श्री अक्षय कुमार पुत्र स्व0 श्री राधेश्याम जाति बैरवा उम्र 24 साल निवासी ग्राम किशनपुरिया तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ हाल वरिष्ठ सहायक व श्री महावीर पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल जाति गुर्जर उम्र 35 वर्ष निवासी बसेड़ा मोहल्ला ओल्ड ब्लॉक स्कूल के पास, झालावाड़ हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उप वन संरक्षक, वन विभाग, झालावाड़ (राज0) ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। जिनसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिचय प्राप्त कर की जाने वाली कार्यवाही से अवगत करवाया गया। समय 08.05 एएम पर पाबन्दशुदा परिवादी श्री सोहनलाल यादव ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व अवगत कराया कि वह अपने साथ रिश्वत मे दी जाने वाली रिश्वत राशि 40,000 रूपये लेकर आया है। परिवादी ने यह भी अवगत कराया कि आरोपी आज दोपहर पश्चात् अपने कार्यालय नगरपालिका पिड़ावा पर ही मौजूद मिलेगा तथा वह मुझसे पूर्व में हुई वार्ता अनुसार रिश्वत राशि प्राप्त कर लेगें। परिवादी का ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री अक्षय कुमार बैरवा वरिष्ठ सहायक व श्री महावीर गुर्जर कनिष्ठ सहायक से परस्पर परिचय कराया गया। परिवादी श्री सोहनलाल यादव द्वारा दिनांक 17.08.2023 को ब्यूरो कार्यालय में पेश किया गया प्रार्थना पत्र रिश्वत राशि देते रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् पढ़कर सुनाया गया। इस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढ़कर व परिवादी से वार्तालाप कर परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये तथा ट्रेप कार्यवाही में सहयोग हेतु साथ रहने की सहमति दी। समय 08:10 एएम पर परिवादी श्री सोहनलाल यादव व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री अक्षय कुमार बैरवा व श्री महावीर गुर्जर की मौजूदगी में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश देकर श्री शिवराज कानि. नं. 166 से मालखाना में सुरक्षित रखे हुए डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को निकलवाया गया। जिसके बारे में दोनों स्वतंत्र गवाह को समझाया गया कि पूर्व में दिनांक 17.08.2023 को परिवादी श्री सोहनलाल यादव एवं आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता के मध्य रिश्वत राशि मांग की गोपनीय वार्ता हो चुकी है। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड में दिनांक 17.08.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को श्री पवन कुमार कानि0 28 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड से उक्त वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री सोहनलाल यादव के समक्ष वार्ता को कम्प्यूटर के स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री सोहनलाल यादव ने एक आवाज स्वंय की व दूसरी आवाज आरोपी श्री अर्जुन देव

पाटीदार कनिष्ठ अभियंता व तीसरी आवाज अन्य अपरिचित व्यक्ति की होना बताया। वार्ता की हूबहू कम्प्यूटर से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप मेरे निर्देशन में श्री पवन कुमार कानि0 नं0 28 द्वारा तैयार करवाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 11:50 एएम पर परिवादी श्री सोहनलाल यादव ने दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री अक्षय कुमार बैरवा व श्री महावीर गुर्जर के समक्ष अपने पास से 40,000 रूपये रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के कुल 80 नोट भारतीय मुद्रा के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये जिनके नम्बरों को फर्द में अंकित करवाया गया। उक्त प्रस्तुत नोटों को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी व सरकारी स्वतन्त्र गवाहान को दिखा कर श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 से फिनोलफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर मंगवाई तथा उक्त कानि. को रिश्वत में दिये जाने वाले नोट सुपुर्द कर उसके द्वारा 40,000/–रूपये रिश्वत राशि के नोटो पर फिनोलफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे तथा गवाह श्री अक्षय कुमार बैरवा से परिवादी श्री सोहनलाल यादव की जामा तलाशी लिवायी जाकर उसके पास पहने हुये कपड़े व मोबाईल के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया। श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 के हाथ से सीधे ही फिनोलफ्थलीन पाउडर युक्त उक्त रिश्वत राशि परिवादी श्री सोहनलाल यादव की पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिनी जेब में रखवायी गयी। परिवादी को हिदायत दी गई की वह रिश्वत राशि को रास्ते में अनावश्यक हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता नगरपालिका पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज0) द्वारा मांगने पर ही निकालकर रिश्वती राशि उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व में आरोपी से हाथ नहीं मिलायें, यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गयी कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात् रिश्वत राशि कहां रखता अथवा छुपाता हैं का भी ध्यान रखें तथा आरोपी के रिश्वती राशि प्राप्त करने पर अपने स्वंय के सिर पर दोनों हाथ फेर कर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल करें ताकि मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं ट्रेप पार्टी को रिश्वत राशि के लेन–देन होने का पता चल जाये। दोनों स्वतन्त्र गवाहन व ट्रेप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वत लेन–देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् फिनोलफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री हर्ष कुमार कानि0 से ही मालखाना में रखवाया गया। एक साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। डिस्पोजल गिलास के उक्त रंगहीन घोल में नोटों पर फिनोलफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री हर्ष कुमार कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह दोनों स्वतंत्र गवाहान् श्री अक्षय कुमार बैरवा व श्री महावीर गुर्जर एवं परिवादी श्री सोहनलाल यादव को दृष्टांत देकर समझाईश की गई कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगायेगा या छुयेगा तो उसके हाथों की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाने पर दोनों पाउडर के परस्पर मिश्रण से घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोलफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि प्राप्त की है। इसके पश्चात् श्री हर्ष कुमार कानि. के द्वारा ही डिस्पोजल गिलास में दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गुलाबी घोल को बाथरूम के वॉश बेसिन में डलवाकर नष्ट करवाया गया तथा प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास व फिनोलफ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों, चम्मच, खाली पव्वों ट्रेप सामग्री किट इत्यादि को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। श्री हर्ष कुमार कानि0 एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। इसके पश्चात् परिवादी को छोड़कर समस्त पार्टी के सदस्यगणों की अपनी–अपनी आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा ट्रेप दल में ब्यूरो स्टाफ के पास स्वंय के विभागीय परिचय पत्र रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् पुनः परिवादी सहित समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। रिश्वत राशि लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु एक डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के रख रखाव व संचालन की विधि पुनः समझाकर परिवादी श्री सोहनलाल यादव को सुपुर्द किया गया। दृष्टांत कार्यवाही की पृथक से फर्द प्राप्ति एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि नोट एवं दृष्टान्त मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़कर सुनाई गई, सुन समझ सही मान सम्बंधित ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये। समय 12:40 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही से पूर्व की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री अक्षय कुमार बैरवा व श्री महावीर गुर्जर तथा ब्यूरो स्टाफ के श्री पवन कुमार कानि. 28, श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425, श्री शिवराज कानि. नं. 166 मय सरकारी व प्राईवेट वाहन व चालक श्री छोटूलाल कानि0 नं0 534 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर के बजानिब पिड़ावा की और ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। आगे–आगे परिवादी श्री सोहनलाल यादव को उनके स्वंय के वाहन स्कॉर्पियों गाड़ी से रवाना किया तथा श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 को ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में छोड़ा गया। समय 07:35 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान जाब्ता के सरकारी व प्राईवेट वाहनों तथा परिवादी श्री सोहनलाल यादव अपनी स्कार्पियों गाड़ी से पिड़ावा से रवाना

होकर ब्यूरो कार्यालय पहुंचे। हालात इस प्रकार है कि ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर परिवादी श्री सोहनलाल यादव के पट्रोल पम्प अमरदीप पेट्रोलियम पिड़ावा के नजदीक पहुंचे। जहां से परिवादी श्री सोहनलाल यादव अपनी स्कॉर्पियों गाड़ी को पेट्रोलपम्प पर खड़ा कर अपनी निजी मोटरसाईकिल लेकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया तथा बताया कि आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता के बारे में मैंने गोपनीय तौर पर जानकारी की तो ज्ञात हुआ कि वह अभी पिड़ावा कस्बे में स्थित अपने किराये के कमरे पर खाना खाने गया हुआ है। मेरा विश्वसनीय आदमी नगरपालिका पिड़ावा के निकट ही मैंने खड़ा कर रखा है जो आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार के नगरपालिका आते ही जरिये मोबाईल कॉल कर मुझे उसके आने के बारे में बता देगा। इसलिए जब तक आरोपी नगरपालिका पिड़ावा में नहीं आ जाता तब तक अपन सभी को यही पर उसका इंतजार करना उचित रहेगा। परिवादी श्री सोहनलाल यादव के कहने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने सरकारी व प्राईवेट वाहन को रोड़ के बायीं तरफ नीचे खड़ा कर मय स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी के परिवादी द्वारा आरोपी के आने की सूचना देने का इंतजार करने लगे। समय 03.50 पीएम पर परिवादी श्री सोहनलाल यादव मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया तथा बताया कि आरोपी अभी अभी नगरपालिका पिड़ावा में आ गया है। इस पर परिवादी श्री सोहनलाल यादव को अपनी मोटरसाईकिल पर आगे–आगे नगरपालिका पिड़ावा के लिए रवाना किया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी ट्रेप पार्टी व स्वतंत्र गवाहान के हमराह ले गये वाहनों से परिवादी के पीछे पीछे नगरपालिका पिड़ावा के लिए रवाना हुए। नगरपालिका पिड़ावा के मुख्य गेट पर परिवादी ने अपनी मोटरसाईकिल रोककर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दूर ही रूकने का ईशारा करने पर नगरपालिका पिड़ावा के पहले ही मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रूककर परिवादी को नगरपालिका पिड़ावा के अन्दर जाने का ईशारा कर दोनों वाहनों को साईड में आड़ में खड़ा कर ट्रेप जाल बिछाया तथा परिवादी श्री सोहनलाल यादव के ईशारे का इंतजार करने लगे। लगभग आधा घण्टा व्यतीत होने के पश्चात् परिवादी अपनी मोटरसाईकिल से बिना कोई ईशारा किये मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया तथा परिवादी ने बताया कि आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता नगरपालिका पिड़ावा में ही मिल गया था, मैंने रिश्वत लेनदेन वार्तालाप के दौरान आपके द्वारा सुपुर्द किया गया डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर उससे रिश्वत लेनेदेन के सम्बंध में वार्तालाप रिकॉर्ड कर ली है। आरोपी द्वारा मुझसे काफी देर तक बातचीत की गई व चाय पीने के लिए भी कहा परन्तु स्वंय द्वारा रिश्वत राशि नहीं लेने की बात बतायी तथा कहा कि रिश्वत राशि मोहित को दे देना। फिर कहा कि आज पदम जी भी नहीं है वह कावड़ लेकर गये है तथा साहब भी नहीं है। वह दोनों कल आयेगें तुम उनसे मिल लेना। इसके अलावा आरोपी ने यह भी मुझसे कहा कि कल इसी समय आ जाना तुम्हारी फाईल साईन करवाकर कम्पलीट करा दूंगा। तुम तो निर्माण कार्य चालू कर दो। स्वीकृति मिलती रहेगी परन्तु मैंने कहा कि मुझे लोन लेना है इसलिए निर्माण स्वीकृति का आदेश चाहिए। फिर कहा कि तुम्हारे पेट्रोल पम्प पर किसी को भिजवा कर आपसे ले लूंगा और यह भी कहा कि मैं साढे पांच बजे तक नगरपालिका से फ्री होकर तुम्हारे पेट्रोल पम्प की तरफ भी आ सकता हूं। परिवादी श्री सोहनलाल यादव ने बताया कि आरोपी रिश्वत राशि लेने के लिए मेरे पेट्रोल पम्प पर भी आ सकता है। इसलिए आप सभी अपनी गाड़ियों को लेकर पेट्रोल पम्प के आगे साईड में ले जाकर खड़ी कर लो और मैं भी अपनी मोटरसाईकिल से पेट्रोल पम्प पर पहुंचता हूं। इस पर परिवादी श्री सोहनलाल यादव को आरोपी के आने पर तुरन्त सूचना देने तथा रिश्वत राशि लेनदेन के दौरान डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पुनः चालू करने की हिदायत देकर उसको अपने पेट्रोल पम्प के लिए रवाना किया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी नगरपालिका से रवाना होकर हमराह ब्यूरो स्टाफ व स्वतंत्र गवाहान वाहनों से अमरदीप पेट्रोल पम्प के आगे मुख्य सड़क से बायीं और साईड में एकांत में वाहनों को खड़ा कर परिवादी श्री सोहनलाल यादव के कॉल का इंतजार करने लगा। लगभग 06.15 पीएम पर परिवादी अपने पेट्रोल पम्प से अपनी स्कॉर्पियों गाड़ी में बैठकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया तथा परिवादी ने बताया कि ना तो आरोपी और ना ही उसका कोई व्यक्ति अभी तक भी मेरे पेट्रोल पम्प पर रिश्वत राशि लेने के लिए आया है और ना ही आरोपी ने उसे कॉल किया है। यदि मैं दुबारा आरोपी को कॉल करूंगा या नगरपालिका जाऊंगा तो उसे शक हो सकता है। अतः आज कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं होगा तथा अपने को झालावाड़ लौट जाना चाहिए। परिवादी के कथनों पर विश्वास किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः परिवादी श्री सोहनलाल यादव की पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिनी जेब में रखी हुई रिश्वत राशि के 40,000रूपये स्वतंत्र गवाह श्री अक्षय कुमार बैरवा से निकलवाई जाकर सफेद रंग के लिफाफे में रखकर तथा रिकॉर्डेड रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता सम्बंधी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को प्राप्त कर मौके पर ही श्री शिवराज कानि0 166 को मालखाना में सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द किया गया तथा परिवादी श्री सोहनलाल यादव को अपनी स्कॉर्पियों गाड़ी से ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ आने का कहकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी मय स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ के हमराह ले गये वाहनों से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पहुंचे। समय 07:45 पीएम पर परिवादी श्री सोहनलाल यादव व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री अक्षय कुमार बैरवा व श्री महावीर गुर्जर की मौजूदगी में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश देकर श्री शिवराज कानि. नं. 166 को मौके पर सुपुर्द कर मालखाना में सुरक्षित रखने के लिए दिये गये रिकॉर्डेड रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को श्री शिवाराज कानि0 नं0

166 से मालखाना से निकलवाया गया। जिसके बारे में दोनों स्वतंत्र गवाह को समझाया गया कि आज दिनांक 21.08.2023 को परिवादी श्री सोहनलाल यादव एवं आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता के मध्य नगरपालिका पिड़ावा में रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता हुई है। जिसे परिवादी श्री सोहनलाल यादव द्वारा उसको सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड में उसके द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। अतः उक्त वार्ता को श्री पवन कुमार कानि0 28 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड से कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री सोहनलाल यादव के समक्ष वार्ता को कम्प्यूटर के स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री सोहनलाल यादव ने एक आवाज स्वंय की व दूसरी आवाज आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता की होना बताया। वार्ता की हूबहू कम्प्यूटर से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मेरे निर्देशन में श्री पवन कुमार कानि0 नं0 28 द्वारा तैयार करवाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई तथा समय 10:00 पीएम पर परिवादी श्री सोहनलाल यादव तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान को अब तक की कार्यवाही के सम्बंध में गोपनीयता बरतने तथा कल दिनांक 22.08.2023 को दोपहर 12.30 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। दिनांक 22.08.2023 समय 12.30 पीएम पर तलविदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री अक्षय कुमार बैरवा व श्री महावीर गुर्जर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। जिन्हे आज की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही के बारे में पुनः समझाईश की गयी। समय 12:35 पीएम पर परिवादी श्री सोहनलाल यादव ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया और मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार से दिनांक 21.08.2023 को हुई वार्तालाप के अनुसार आज लगभग 03.00 बजे नगरपालिका पिड़ावा में रिश्वत राशि लेकर बुलाया है तथा आज अधिशाषी अधिकारी व श्री पदम जी भी नगरपालिका में ही मौजूद मिलेगें। परिवादी के बताये अनुसार ट्रेप कार्यवाही के क्रम में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री शिवराज कानि0 को निर्देश देकर मालखाने में रखी हुई रिश्वत राशि 40,000रूपये के सफेद रंग के लिफाफे को मंगवाकर स्वतंत्र गवाह श्री अक्षय कुमार बैरवा द्वारा परिवादी श्री सोहनलाल यादव की जामा तलाशी लिवायी गयी तथा जामा तलाशी के दौरान मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई वस्तु परिवादी के पास नहीं रखी जाने के निर्देश देकर परिवादी श्री सोहनलाल यादव की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में सफेद रंग के लिफाफे में रखी हुई 40,000रूपये की रिश्वत राशि निकलवाकर रखवायी गयी। तत्पश्चात् स्वतंत्र गवाह श्री अक्षय कुमार बैरवा तथा समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह से धुलवाये गये तथा परिवादी श्री सोहनलाल यादव को रिश्वती लेनदेन के समय होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करने हेतु डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर पुनः रखरखाव व संचालन की विधि समझाई गई। समय 01:00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री अक्षय कुमार बैरवा व श्री महावीर गुर्जर तथा ब्यूरो स्टाफ के श्री पवन कुमार कानि. 28, श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425, श्री शिवराज कानि. नं. 166 मय सरकारी व प्राईवेट वाहन व चालक श्री छोटूलाल कानि0 नं0 534 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व टॉर्च के बजानिब पिड़ावा की और ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। आगे–आगे परिवादी श्री सोहनलाल यादव को उनके स्वंय के वाहन स्कॉर्पियों गाड़ी से रवाना किया तथा श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 को ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में छोड़ा गया। समय 02:30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री अक्षय कुमार बैरवा व श्री महावीर गुर्जर तथा ब्यूरो स्टाफ के श्री पवन कुमार कानि. 28, श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425, श्री शिवराज कानि. नं. 166 मय सरकारी व प्राईवेट वाहन व चालक श्री छोटूलाल कानि0 नं0 534 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर के ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ से रवाना होकर बस स्टेण्ड पिड़ावा के नजदीक पहुंचे तथा कुछ समय पश्चात् परिवादी श्री सोहनलाल यादव भी अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी को उसके पेट्रोल पम्प पर खड़ा कर उसकी मोटरसाईकिल से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया जिसने बताया कि आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार अभी नगरपालिका में ही मौजूद है। आप अपने वाहनों को नगरपालिका पिड़ावा के आस–पास खड़ा कर ट्रेप जाल बिछाकर मेरे ईशारे का इंतजार करना। मैं अपनी मोटरसाईकिल से नगरपालिका रवाना होता हूं। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने नगरपालिका पिड़ावा के निकट आकर वाहनों को साईड में खड़ा कर ट्रेप जाल बिछाया तथा परिवादी श्री सोहनलाल यादव के ईशारे का इंतजार करने लगा। समय 03:20 पीएम पर परिवादी श्री सोहनलाल यादव नगरपालिका पिड़ावा से बिना कोई ईशारा किये मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया तथा मुझे एक तरफ एकांत में ले जाकर बताया कि आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार मुझे नगरपालिका में ही मिल गया था तथा वह मुझे श्री राधेश्याम छींपा अधिशाषी अधिकारी के पास भी मिलाने के लिए ले गया था। मैंने मेरे काम करने व रिश्वत राशि देने के बारे में आरोपी से वार्तालाप की तो आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार ने अधिशाषी अधिकारी के लिए बताया कि वह पूछे तो बताना कि 20,000रूपये रिश्वत राशि देने के लिए ही बातचीत हुई है। श्री राधेश्याम छींपा अधिशाषी अधिकारी से बातचीत के दौरान उन्होने मुझसे मेरे काम के बारे में पूछा तथा कहा कि अभी में वीसी में मिटिंग में व्यस्त हूं तुम शाम 5.00 बजे बाद नगरपालिका आकर मिलना। मैंने आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार तथा अधिशाषी अधिकारी से वार्तालाप के दौरान आपके द्वारा सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर वार्ता को रिकॉर्ड कर लिया है। चूंकि अधिशाषी अधिकारी ने शाम 5.00 बजे बाद नगरपालिका

पिड़ावा में बुलाया है। अतः यहां से मेरे पेट्रोल पम्प की तरफ चलना उचित रहेगा। परिवादी के कथनों पर यकीन करते हुए मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को अपनी मोटरसाईकिल से उसके पेट्रोल पम्प पर पहुंचने के निर्देश दिये तथा स्वंय भी ट्रेप पार्टी व स्वतंत्र गवाहान को एकत्रित कर हमराह ले गये वाहनों में बैठाकर सुनेल रोड़ पर स्थित परिवादी के पेट्रोल पम्प से आगे एकांत जगह में इंतजार करने के लिए रवाना हुए। नगरपालिका पिड़ावा से रवाना होकर परिवादी के पेट्रोल पम्प के आगे बायीं और साईड में वाहनों को खड़ा कर परिवादी के कॉल का इंतजार करने लगे। समय 04:40 पीएम पर परिवादी श्री सोहनलाल यादव ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल अवगत कराया कि वह उसके पेट्रोल पम्प पर ही मौजूद है तथा अभी अभी उसके मोबाईल नम्बर पर नगरपालिका पिड़ावा से एक व्यक्ति का कॉल आया है जिसने बताया है कि आप शाम 5.00 बजे के बजाय शाम 6.30 बजे आना। परिवादी ने बताया कि मोबाईल पर कॉल करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम नहीं बताया है। चूंकि परिवादी को नगरपालिका पिड़ावा में शाम 6.30 बजे बुलाया है। अतः मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पेट्रोल पम्प के आगे साईड में ही वाहनों को खड़ा कर ट्रेप पार्टी के साथ बैठा रहकर इंतजार करने लगा। समय 06:20 पीएम पर परिवादी श्री सोहनलाल यादव ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल अवगत कराया कि यहां से नगरपालिका पहुंचने में लगभग 10 मिनट लग जायेगें। मैं अपनी मोटर साईकिल से नगरपालिका पिड़ावा के लिए रवाना हो रहा हूं तथा आप भी नगरपालिका पिड़ावा के लिए रवाना हो जाओ। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने ट्रेप पार्टी को अलर्ट कर सरकारी व प्राईवेट वाहन से नगरपालिका पिड़ावा के लिए रवाना हुए तथा नगरपालिका पिड़ावा के बाहर आगे की तरफ दोनों वाहनों को साईड में खड़ा कर नगरपालिका पिड़ावा की बाउण्ड्री वाले मैन गेट के दोनों और ट्रेप पार्टी व स्वतंत्र गवाहान को खड़ा कर ट्रेप जाल बिछाया तथा स्वंय गेट के नजदीक खड़ा रहकर परिवादी श्री सोहनलाल यादव के ईशारे का इंतजार करने लगा। समय 06:55 पीएम पर परिवादी श्री सोहनलाल यादव ने नगरपालिका भवन पिड़ावा के मुख्य द्वार के बाहर आकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेरकर करने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नगरपालिका की बाउण्ड्री के बाहर दोनों और दीवार के सहारे खड़े ब्यूरो स्टॉफ व स्वतंत्र गवाहान को एकत्रित कर पीछे–पीछे आने का ईशारा कर नगरपालिका भवन पिड़ावा के मुख्य द्वार पर परिवादी श्री सोहनलाल यादव के पास पहुंचा तथा परिवादी से पूर्व में रिश्वत लेनदेन के दौरान होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करने के लिए सुपुर्द शुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने कब्जे में लिया तथा परिवादी से रिश्वत राशि मांगने, प्राप्त करने तथा रिश्वत राशि रखने वाली जगह के बारे में पूछा गया तो परिवादी श्री सोहनलाल यादव ने रूबरू स्वतंत्र गवाहान बताया कि जब मैंने रिश्वत राशि देने के लिए नगरपालिका भवन के अन्दर प्रवेश किया तो मुझे, ईओ साहब के कमरे के बाहर ही श्री अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता मिल गये थे जिनसे मैंने मेरी तीनों दुकानों के ऊपर दूसरी व तीसरी मंजिल का निर्माण कार्य की स्वीकृति जारी होने के सम्बंध में तथा रिश्वत राशि के 40,000रूपये देने के लिए पूछा तो उन्होने, मुझसे रिश्वत राशि के 40,000रूपये दिलवाने के लिए किसी व्यक्ति को अपने मोबाईल से कॉल कर नगरपालिका भवन में बुलाया तथा फोन कर उसको पेमेंट देने के लिए कहा इस पर कुछ देर पश्चात् ही श्री अर्जुन देव पाटीदार मुझे भी साथ में लेकर नगरपालिका पिड़ावा की भूमि शाखा कक्ष नम्बर 06 में आये जहां पर एक सांवले से रंग का युवक खड़ा मिला, जिसकी और श्री अर्जुन देव पाटीदार ने ईशारा कर मुझसे कहा कि यही हमारा कम्प्यूटर ऑपरेटर उज्ज्वल तिवारी है, जिसे मैंने अभी कॉल कर बुलाया है। आप रिश्वत राशि के 40,000रूपये श्री उज्ज्वल तिवारी को दे दो। श्री उज्ज्वल तिवारी के पास ही तुम्हारी तीनों दुकानों के ऊपर दूसरी व तीसरी मंजिल का निर्माण स्वीकृति जारी करने के कागजात रखे हुए है तथा वह तुम्हे भवन निर्माण स्वीकृति के कागजात भी दे देगा। परिवादी ने बताया कि उसके बाद उसने श्री अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता के कहने पर श्री उज्ज्वल तिवारी नाम के लड़के को रिश्वत राशि के 40,000रूपये देने के लिए कहा तो श्री उज्ज्वल तिवारी ने रिश्वत राशि के 40,000रूपये मुझसे प्राप्त कर गिनकर अपनी टेबल की बायीं और स्थित लोहे की ऊपर वाली रेक में रख दिये तथा आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार व श्री उज्ज्वल तिवारी अभी भी नगरपालिका की भूमि शाखा के कक्ष नं0 06 में ही मौजूद है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिवादी श्री सोहनलाल यादव के पीछे–पीछे हमराह ट्रेप पार्टी व स्वतंत्र गवाहान मुख्य भवन के द्वार से प्रवेश कर बायीं और स्थित कमरा नं0 06 में पहुंचे। तो वहां कुर्सी पर बैठे गौरे से दाढ़ी मूछों वाले युवक जिसने काले रंग की पेंट व सफेद रंग की चैक वाली हॉफ बाहें वाली शर्ट पहने युवक की और ईशारा कर बताया कि साहब यही श्री अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता है, जिन्होने अभी–अभी मेरी तीनों दुकानों की दूसरी व तीसरी मंजिल का निर्माण करने की स्वीकृति जारी करने के सम्बंध में वार्तालाप कर रिश्वत राशि के 40,000रूपये श्री उज्ज्वल तिवारी को दिलवाये है। पास में खड़े सांवले से रंग के युवक जिसने, काले सफेद रंग की चैक वाली शर्ट व काले रंग की पेंट तथा दाहिने हाथ में सफेद रंग की धातु का ब्रासलेट पहने व्यक्ति की और ईशारा कर बताया कि यही श्री उज्ज्वल तिवारी है जिन्होने, श्री अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता के कहने पर मुझसे रिश्वत राशि के 40,000रूपये प्राप्त कर गिनकर अपनी टेबल की बायीं और स्थित लोहे की ऊपर वाली रेक में रखे है। इस पर ब्यूरो स्टॉफ के श्री पवन कुमार कानि0 से आरोपी श्री उज्ज्वल तिवारी का दाहिना हाथ तथा श्री देवदान सिंह कानि0 से बायां हाथ कलाई से ऊपर पकड़ने के निर्देश

दिये। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना व हमराहीयान का उक्त दोनों आरोपियों को परिचय दिया तथा यहां आने का प्रयोजन बताया तो वह दोनों, अत्यन्त घबरा गये जिन्हे तसल्ली देकर शांत कर नाम पता पूछा तो गौरे से युवक ने अपना नाम अर्जुन देव पुत्र श्री कैलाशचन्द जाति पाटीदार उम्र 30 साल निवासी डूंगरगांव तहसील/थाना असनावर जिला झालावाड़ राज0 हाल कनिष्ठ अभियंता नगरपालिका मण्डल पिड़ावा जिला झालावाड़ तथा दूसरे सांवले से युवक ने अपना नाम उज्ज्वल तिवारी पुत्र श्री श्यामलाल तिवारी जाति ब्राह्मण उम्र 23 साल निवासी हेमड़ा तहसील/थाना सुनेल जिला झालावाड़ राज0 हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी) नगरपालिका मण्डल पिड़ावा जिला झालावाड़ होना बताया। आरोपी श्री उज्ज्वल तिवारी से परिवादी श्री सोहनलाल यादव से ली गई रिश्वत राशि के 40,000रूपये बाबत् पूछा गया कि यह रिश्वत राशि उसने क्यों व किस उद्देश्य से ली है। इस पर आरोपी श्री उज्ज्वल तिवारी ने रूबरू स्वंतत्र गवाहान बताया कि मैं दिसम्बर 2022 से नगरपालिका मण्डल पिड़ावा में संविदाकर्मी के रूप में कम्प्यूटर ऑपरेटर का कार्य कर रहा हूं। मैं भूमि शाखा कमरा नं0 06 में बैठता हूं तथा कम्प्यूटर टाईपिंग करने सम्बंधी जो भी कार्य दिये जाते है उनको निर्देशानुसार करता रहता हूं। मैं श्री सोहनलाल यादव जी को जानता हूं कि इनका पेट्रोल पम्प है। आज श्री अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता द्वारा मुझे फोन कॉल कर नगरपालिका में बुलाया था। उनके साथ श्री अर्जुन देव पाटीदार भी भूमि शाखा कमरा नं0 06 में आये थे। मैंने श्री अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता के कहने पर उनसे रिश्वत राशि के 40,000रूपये प्राप्त कर गिनकर मेरी टेबल की बायीं वाली लोहे की ऊपर की रेक में कागजों के ऊपर रख दिये तथा श्री अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता के कहने पर श्री सोहनलाल यादव जी को उनकी तीनों दुकानों के ऊपर दूसरी व तीसरी मंजिल का निर्माण करने सम्बंधी निर्माण स्वीकृति के कागजात दिये थे तथा निर्माण स्वीकृति सम्बंधी कार्यालय पत्रावली पर उनके हस्ताक्षर भी लिये थे। मैंने श्री सोहनलाल यादव जी से कोई रिश्वत राशि की मांग नहीं की है। रिश्वत राशि के 40,000रूपये मेरी टेबल की बायीं वाली लोहे की ऊपर की रेक में कागजों के ऊपर रखे हुए है। मैं आपको बरामद करा सकता हूं। तत्पश्चात् आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता से परिवादी श्री सोहनलाल यादव से मांगी गई रिश्वत राशि तथा आरोपी श्री उज्ज्वल तिवारी को दिलवाई गई रिश्वत राशि के 40,000रूपये बाबत् पूछा गया कि यह रिश्वत राशि उसने आरोपी श्री उज्ज्वल तिवारी को क्यों व किस उद्देश्य से दिलवाई है। इस पर आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार ने रूबरू स्वंतत्र गवाहान बताया कि मैं अक्टूबर 2022 से नगरपालिका मण्डल पिड़ावा में कनिष्ठ अभियंता के पद पर तैनात हूं तथा श्री सोहनलाल यादव जी कि उनके पेट्रोल पम्प के पास बनी हुई तीनों दुकानों की दूसरी व तीसरी मंजिल का निर्माण कार्य कराने के लिए निर्माण स्वीकृति जारी करने की पत्रावली दिनांक 14.07.2023 को अधिशाषी अधिकारी श्री राधेश्याम छींपा के समक्ष पेश की थी, जिस पर भूमि शाखा में तैनात श्री पदम नवीन वरिष्ठ सहायक द्वारा पत्रावली पर टिप्पणी अंकित कर अधिशाषी अधिकारी श्री राधेश्याम छींपा के समक्ष नोटशीट पेश की थी जिस पर, मेरे द्वारा कनिष्ठ अभियंता के पद पर होने के कारण मौके पर जाकर मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट अधिशाषी अधिकारी को पेश की थी, तत्पश्चात् निर्माण स्वीकृति जारी करने हेतु पत्रावली अधिशाषी अधिकारी को पेश करने पर उनके द्वारा दिनांक 11.08.2023 को ही जरिये क्रमांक 1256 निर्माण स्वीकृति जारी कर दी थी। इस बीच परिवादी श्री सोहनलाल यादव निर्माण स्वीकृति जारी कराने के लिए मुझसे कई बार नगरपालिका में आकर मिले थे परन्तु मैंने अधिशाषी अधिकारी के कहने पर उनको मना कर दिया था कि अभी निर्माण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। दिनांक 17.08.2023 को भी श्री सोहनलाल यादव मेरे पास नगरपालिका में आये थे परन्तु अधिशाषी अधिकारी श्री राधेश्याम छींपा तथा श्री पदम नवीन वरिष्ठ सहायक के कहने पर मैंने 50,000रूपये रिश्वत राशि देने पर ही निर्माण स्वीकृति जारी करने की बात कही थी, परन्तु मैंने श्री सोहनलाल यादव जी के कहने पर 40,000रूपये रिश्वत राशि देने पर उनको सहमति दी थी तथा यह भी कहा था कि यह रिश्वत राशि अधिशाषी अधिकारी व वरिष्ठ सहायक को भी देनी पड़ेगी तथा अन्य स्टॉफ में भी डिवाईड होगी। यह रिश्वत राशि मैंने अपने अकेले के लिए नहीं मांगी है। इसमें से श्री राधेश्याम छींपा अधिशाषी अधिकारी को 10,000रूपये, श्री पदम नवीन वरिष्ठ सहायक को 15,000रूपये तथा शेष 15,000रूपये मेरे हिस्से के है। दिनांक 21.08.2023 को फिर श्री सोहनलाल जी मेरे पास नगरपालिका में रिश्वत राशि के 40,000रूपये देने के लिए आये थे। उनको मैंने मोहित नाम के व्यक्ति को रिश्वत राशि देने के लिए कहा था परन्तु उन्होने मुझे ही रिश्वत राशि देना चाहा तथा फिर कहा कि आप शाम 6.00 बजे तक पेट्रोल पम्प पर ही आ जाना। उसके बाद वह चले गये थे। उस दिन श्री पदम नवीन कावड़ यात्रा पर गया हुआ है तथा श्री राधेश्याम छींपा अधिशाषी अधिकारी भी नगरपालिका में मौजूद नहीं थे। इसलिए मैंने अधिशाषी अधिकारी श्री राधेश्याम छींपा तथा श्री पदम नवीन वरिष्ठ सहायक के दिनांक 22.08.2023 को नगरपालिका में उपस्थित आने पर श्री सोहनलाल जी को आज नगरपालिका में रिश्वत राशि के 40,000रूपये लेकर बुलाया था। यह सही है कि श्री सोहनलाल जी यादव से मेरे द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि के 40,000रूपये की जानकारी मैंने अधिशाषी अधिकारी श्री राधेश्याम छींपा तथा श्री पदम नवीन वरिष्ठ सहायक को दे दी थी। आज दिनांक 22.08.2023 को दोपहर पश्चात् श्री सोहनलाल जी निर्माण स्वीकृति जारी करने के सम्बंध में मुझसे फिर मिले थे। इस पर मैंने इनको अधिशाषी अधिकारी श्री राधेश्याम छींपा के पास मिलने के लिए भेजा था उस वक्त मैं भी वहीं मौजूद था। अधिशाषी

अधिकारी श्री राधेश्याम छींपा ने श्री सोहनलाल जी यादव को मेरे सामने ही कहा था कि अभी वीसी की मिटिंग चल रही है तुम शाम को 5.00 बजे बाद आना। इस पर आज दिनांक 22.08.2023 को शाम 06.30 बजे करीब श्री सोहनलाल जी मेरे पास निर्माण स्वीकृति के कागजात लेने के लिए आये थे तथा उन्होने कहा कि उनके पास रिश्वत राशि के 40,000रूपये रखे हुए है, उस समय अधिशाषी अधिकारी श्री राधेश्याम छींपा भी अपने कक्ष में मौजूद थे। मैंने श्री सोहनलाल जी यादव द्वारा दी गई रिश्वत राशि के 40,000रूपये श्री उज्ज्वल तिवारी कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी) को उसके व्हाट्सएप मोबाईल नम्बर 9653761098 पर अपने व्हाट्सएप मोबाईल नम्बर 7877008536 के जरिये व्हाट्सएप कॉलिंग कर नगरपालिका में बुलाया था जिस पर भूमि शाखा के कमरा नं0 06 में श्री उज्ज्वल तिवारी को मेरे कहने पर 40,000रूपये रिश्वत राशि के परिवादी श्री सोहनलाल यादव द्वारा दिये गये थे तथा रिश्वत राशि प्राप्त करने के बाद श्री उज्ज्वल तिवारी द्वारा भी मुझे जानकारी दे दी गई थी मेरे कहने पर ही श्री उज्ज्वल तिवारी द्वारा रिश्वत राशि के 40,000रूपये देने के पश्चात् उनकी तीनों दुकानों की दूसरी व तीसरी मंजिल के निर्माण स्वीकृति जारी करने सम्बंधी कागजात उनके हस्ताक्षर लेकर उनको सुपुर्द किये थे। मैंने श्री सोहनलाल यादव से उनके द्वारा स्वैच्छा से निर्माण स्वीकृति जारी करने तथा श्री राधेश्याम छींपा ईओ साहब तथा श्री पदम नवीन बाबू जी के कहने पर 40,000रूपये श्री उज्ज्वल तिवारी को दिलवाये थे। मैंने कोई रिश्वत राशि ग्रहण नहीं की है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करें, आयन्दा ध्यान रखूंगा। आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता द्वारा दिये गये उपरोक्त स्पष्टीकरण के सम्बंध में परिवादी श्री सोहनलाल यादव ने बताया कि आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता झूंठ बोल रहे है। मैंने इन्हे रिश्वत राशि के 40,000रूपये राजीखुशी व स्वैच्छा से नहीं दिये है। इनके द्वारा मेरी तीनों दुकानों की दूसरी व तीसरी मंजिल के निर्माण कार्य कराने के लिए दिनांक 14.07.2023 को नगरपालिका मण्डल पिड़ावा में निर्माण स्वीकृति की फाईल के साथ सम्पूर्ण कागजात व निर्माण स्वीकृति की फीस के रूप में चेक नम्बर 189158 दिनांक 08.08.2023 राशि 91,420रूपये संलग्न कर अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका पिड़ावा जिला झालावाड़ के नाम से लगाई थी। इस बीच मैं कई बार नगरपालिका में आकर निर्माण स्वीकृति जारी करने सम्बंधी कार्य के लिए इनसे आकर मिला तो जानकारी मिली कि मेरी पत्रवाली श्री अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता ने रोक रखी है तथा उनके द्वारा निर्माण स्वीकृति जारी करने के लिए 50,000रूपये की रिश्वत राशि मांगी जा रही है। इस पर दिनांक 17.08.2023 को मैंने आपके कार्यालय में इनके द्वारा 50,000रूपये रिश्वत राशि मांगने की शिकायत दर्ज करायी थी जिस पर आपने उसी रोज आपके कार्यालय के श्री पवन कुमार जी को मेरे साथ मुझे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर देकर श्री अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता के पास रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करने के लिए भेजा था। इस पर उसी रोज मैंने नगरपालिका पिड़ावा में आकर इनसे वार्तालाप की तो यह 50,000रूपये की जगह 40,000रूपये रिश्वत राशि देने पर निर्माण स्वीकृति जारी करने के लिए सहमत हो गये। उसके बाद दिनांक 21.08.2023 को ट्रेप पार्टी के साथ आकर श्री अर्जुन देव पाटीदार को ट्रेप करने का प्रयास किया गया। ट्रेप प्रयास के दौरान मैंने वार्तालाप को आपके द्वारा सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर रिकॉर्डर कर लिया था, परन्तु उस दिन श्री अर्जुन देव पाटीदार द्वारा रिश्वत राशि नहीं ली गई तथा कहा कि दिनांक 22.08.2023 को नगरपालिका पिड़ावा में आ जाना तथा रिश्वत राशि मोहित को दिलवाने की बात कही। उसके बाद मेरे द्वारा मोहित को रिश्वत राशि देने से मना करने पर इन्होने आज दिनांक 22.08.2023 को मुझे नगरपालिका पिड़ावा में रिश्वत राशि लेकर बुलाया था, जिस पर मैं दोपहर 3.00 बजे करीब ट्रेप पार्टी के साथ नगरपालिका पिड़ावा आया तथा श्री अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता से मिला तो उन्होने मुझे श्री राधेश्याम छींपा अधिशाषी अधिकारी से भी मिलवाया, जिन्होने मुझसे कहा कि अभी वह वीसी की मिटिंग में व्यस्त है तथा शाम 5.00 बजे बाद आने के लिए कहा है। इस पर मैं ट्रेप पार्टी के साथ पुनः लौटकर अपने पेट्रोल पम्प पर चला गया था। मेरे द्वारा इनसे की गई वार्तालाप को भी मैंने आपके द्वारा सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर रिकॉर्ड कर लिया था। इसके पश्चात् मेरे पास समय 04.39 पीएम पर मेरे मोबाईल पर जरिये मोबाईल नम्बर 8239112001 से कॉल आया तथा उसने बताया कि आप 5.00 बजे की जगह शाम 6.30 बजे नगरपालिका में आना। इस सम्बंध में मैंने तुरन्त आपको अवगत कराया था। उसके बाद पुनः आपकी ट्रेप पार्टी के साथ पेट्रोल पम्प से रवाना होकर मैं नगरपालिका पिड़ावा के आस–पास आया तथा आपके बताये अनुसार रिश्वत लेनदेन वार्तालाप को रिकॉर्ड करने के लिए डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार से मिला तो इन्होने श्री उज्ज्वल तिवारी को कॉल कर बुलाकर रिश्वत राशि के 40,000रूपये दिलवा दिये। रिश्वत राशि के 40,000रूपये देने पर तुरन्त ही श्री उज्ज्वल तिवारी ने नगरपालिका की फाईल पर मेरे हस्ताक्षर लेकर निर्माण स्वीकृति के कागजात मुझे सुपुर्द कर दिये है। उसके बाद मैंने नगरपालिका भवन के मैन गेट के बाहर से आपको ईशारा करने पर आप लोगों ने आकर इन दोनों को ट्रेप कर लिया है। ट्रेप कार्यवाही की भनक लगने पर श्री राधेश्याम छींपा अधिशाषी अधिकारी फरार हो गये है। मैंने यह रिश्वत राशि आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार के द्वारा निर्माण स्वीकृति जारी करने की एवज में मांगने पर उनके कहे अनुसार श्री उज्ज्वल तिवारी को दी है। फिर आरोपी श्री उज्ज्वल तिवारी के दोनों हाथों की धुलाई हेतु एक बोतल में साफ पानी मंगवाकर दो साफ–साफ सफेद रंग के डिस्पोजल गिलासों में भरकर सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित

रहा। तत्पश्चात एक सफेद रंग के डिस्पोजल के गिलास में तैयार रंगहीन घोल में आरोपी श्री उज्ज्वल तिवारी के दाहिनें हाथ की उंगलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा मौके पर भरकर सील–मोहर चिट कर मार्का आरएच–1, आरएच–2 अंकित कर सबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। फिर दूसरे सफेद रंग के डिस्पोजल के गिलास में तैयार घोल में आरोपी श्री उज्ज्वल तिवारी के बायें हाथ की उंगलियो व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे भी दो साफ कांच की शिशियो में आधा–आधा मौके पर भरकर सील–मोहर चिट कर मार्का एलएच–1, एलएच–2 अंकित कर सबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। चूंकि आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण नहीं की है इसलिए उसके दोनों हाथों की धुलाई नहीं करायी गयी है। फिर आरोपी श्री उज्ज्वल तिवारी की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री अक्षय कुमार बैरवा से लिवायी गयी तो आरोपी के पास पहने हुए कपड़ों के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं मिली जिसे, कब्जा ब्यूरो लिया जा सके। फिर गवाह श्री अक्षय कुमार बैरवा से आरोपी श्री उज्ज्वल तिवारी की टेबल की बायीं और स्थित लोहे की ऊपर की रेक की तलाशी लिये जाने के निर्देश दिये जाने पर उनके द्वारा 500–500 रूपये के नोटों की एक गड्डी पेश की। फिर अन्य गवाह श्री महावीर गुर्जर को फर्द सुपुर्दगी नोट देकर उक्त नोटो का मिलान करने निर्देश देने पर दोनों गवाहान ने बरामद नोटो के नम्बर फर्द सुपुर्दगी में अंकित नोटो का मिलान कर हूबहू नम्बरी रिश्वती राशि वाले 40,000रूपये होना बताने पर नोटो के नम्बर फर्द में अंकित किये जा रहे है, जो निम्न प्रकार है :–

1.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	4TP 746701
2.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	7RH 281408
3.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8MV 415949
4.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2QB 123387
5.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1WR 453507
6.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1PQ 631631
7.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	7SH 600695
8.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1RT 151562
9.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2MN 104708
10.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	6HB 580420
11.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3DL 393632
12.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	5HC 088750
13.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	4DB 936572
14.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	7DL 278335
15.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0MA 139528
16.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	5HT 267134
17.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0GE 958944
18.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8HR 403649
19.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3BD 179462
20.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3AT 778887
21.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8EH 168101
22.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2TV 803416
23.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	6HE 870954
24.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9QL 955145
25.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	6GT 865890
26.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	5FQ 964065
27.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1VR 276555
28.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8PH 457795
29.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	6NC 163846
30.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8WH 952893
31.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	7BQ 592844
32.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	4PC 995698
33.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	4AS 135232
34.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2DW 054085
35.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3CE 646156

36.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1BD 648520
37.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	5UD 693110
38.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1MA 440867
39.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	6TS 713049
40.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9NW 803781
41.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2PR 219174
42.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9RS 739224
43.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3VG 591137
44.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8DR 583755
45.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	6DQ 496805
46.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2GC 269894
47.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1WH 027876
48.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2BT 584639
49.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8MS 491200
50.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3WR 190827
51.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1EE 068502
52.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9SE 942066
53.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9DP 224618
54.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	7EA 841091
55.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2EM 058627
56.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1VS 540484
57.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	6RE 249886
58.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3TB 190180
59.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3FA 203831
60.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	5CC 590631
61.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	7CK 097998
62.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8TL 012657
63.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8ST 182306
64.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	4NT 327555
65.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3EC 425108
66.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1TG 463451
67.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3PF 113378
68.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	5VF 076063
69.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1UM 263279
70.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	7HC 814721
71.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3AU 310898
72.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8DG 997676
73.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1US 139823
74.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8PH 411713
75.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3FD 964988
76.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	7VU 280468
77.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3BK 540584
78.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1TB 150243
79.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	4CT 022781
80.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3VL 179700

उक्त रिश्वत राशि के 500–500 रूपये के 80 बरामदशुदा नोटों को एक पीले रंग के कागज के लिफाफे में रखकर मौके पर सील चीट कर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया। चूंकि रिश्वत राशि आरोपी श्री उज्ज्वल तिवारी द्वारा अपनी टेबल की बायीं और स्थित लोहे की ऊपर की रेक में कागज के ऊपर रखी हुई बरामद हुई है। अतः रिश्वत राशि रखे कागज की धुलाई हेतु एक सफेद रंग के साफ डिस्पोजल गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया तो घोल

का रंग अपरिवर्तित रहा। फिर सफेद रंग एक कपड़े की चिन्दी को घोल में डूबोकर उस कागज के ऊपर जिस पर रिश्वत राशि रखी गई थी। उस कागज को सोडियम कार्बोनेट के घोल में भीगी हुई कपड़े की चिन्दी से रगड़ कर उस चिन्दी को सोडियम कार्बोनेट के डिस्पोजल गिलास के घोल में डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरकर मौके पर ही सील–मोहर चिट कर मार्का डीपी–1, डीपी–2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया तथा सफेद रंग की कपड़े की चिन्दी को पंखे की हवा में सुखोकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर एक कपड़े की थेली में रखकर सीलमोहर चिट कर मार्क सी दिया गया। सफेद रंग के डिस्पोजल गिलासों को मौके पर ही नष्ट किया गया। परिवादी श्री सोहनलाल यादव के पेण्डिंग कार्य से सम्बंधित मूल पत्रावली रूबरू स्वतंत्र गवाहान जब्त की जाकर नोटशीट के अन्तिम पृष्ठ पर स्वतंत्र गवाहान तथा परिवादी श्री सोहनलाल यादव के हस्ताक्षर कराये जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा भी हस्ताक्षर कर बतौर वजह सबूत जब्त किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई तैयार कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। समय 10:50 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री सोहनलाल यादव के बताये अनुसार नगरपालिका पिड़ावा के बाहर जली हुई ट्यूबलाईटो व स्वंय द्वारा साथ में ले गये टॉर्च की रोशनी में घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका व हालात मौका तैयार कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 11:30 पीएम पर आरोपी श्री अर्जुन देव पुत्र श्री कैलाशचन्द जाति पाटीदार उम्र 30 साल निवासी डूंगरगांव तहसील/थाना असनावर जिला झालावाड़ हाल कनिष्ठ अभियंता नगरपालिका मण्डल पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज0) को जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी के गिफ्तार किया गया। आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री अक्षय कुमार बैरवा से लिवायी गयी तो आरोपी के पहने हुए कपड़ों के अलावा अन्य कोई संदिग्ध राशि इत्यादी नहीं मिली। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसके बताये अनुसार नगरपालिका पिड़ावा में रात्रिकालीन ड्यूटी में तैनात सफाईकर्मी श्री रणजीत निवासी पिड़ावा को दी गयी। उक्त कार्यवाही की फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 11:45 पीएम पर आरोपी श्री उज्ज्वल तिवारी पुत्र श्री श्यामलाल तिवारी जाति ब्राह्मण उम्र 23 साल निवासी हेमड़ा तहसील/थाना सुनेल जिला झालावाड़ हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी) नगरपालिका मण्डल पिड़ावा जिला झालावाड़(राज0) को जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी के गिफ्तार किया गया। आरोपी श्री उज्ज्वल तिवारी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री अक्षय कुमार बैरवा से लिवायी गयी तो आरोपी के पहने हुए कपड़ों के अलावा अन्य कोई संदिग्ध राशि इत्यादी नहीं मिली। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसके बताये अनुसार नगरपालिका पिड़ावा में रात्रिकालीन ड्यूटी में तैनात सफाईकर्मी श्री रणजीत निवासी पिड़ावा को दी गयी। उक्त कार्यवाही की फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 23.08.2023 समय 12:00 एएम पर आरोपी श्री अर्जुन देव पुत्र श्री कैलाशचन्द जाति पाटीदार उम्र 30 साल निवासी डूंगरगांव तहसील/थाना असनावर जिला झालावाड़ हाल कनिष्ठ अभियंता नगरपालिका मण्डल पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज0) को दोनों स्वतंत्र गवाहन श्री अक्षय कुमार बैरवा व श्री महावीर गुर्जर के समक्ष, आरोपी को उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी को बताया कि दिनांक 17.08.2023 को नगरपालिका पिड़ावा में परिवादी श्री सोहनलाल यादव से हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप तथा दिनांक 21.08.2023 को भी नगरपालिका पिड़ावा में ही हुई रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता तथा आज दिनांक 22.08.2023 को समय 02.48 पीएम पर नगरपालिका पिड़ावा में परिवादी श्री सोहनलाल यादव से हुई रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता तथा समय 06.40 पीएम पर रिश्वत लेनदेन वार्तालाप हुई थी, उक्त चारों वार्ताओं को परिवादी श्री सोहनलाल यादव द्वारा उसको एसीबी कार्यालय झालावाड़ द्वारा सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया था। उसका एफएसएल से परीक्षण करवाने हेतु जरिये फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस दिया गया तो आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार ने फर्द पर ही स्वंय के हस्तलेख में लिखकर दिया कि " मैं अपनी आवाज का स्वैच्छा से नमूना नहीं देना चाहता हूँ " अंकित कर हस्ताक्षर किये। उक्त कार्यवाही की फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 12:15 एएम समय आरोपी श्री उज्ज्वल तिवारी पुत्र श्री श्यामलाल तिवारी जाति ब्राह्मण उम्र 23 साल निवासी हेमड़ा तहसील/थाना सुनेल जिला झालावाड़ हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी) नगरपालिका मण्डल पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज0) को दोनों स्वतंत्र गवाहन श्री अक्षय कुमार बैरवा व श्री महावीर गुर्जर के समक्ष, आरोपी को उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी को बताया कि दिनांक 22.08.2023 को समय 06.40 पीएम पर नगरपालिका पिड़ावा में परिवादी श्री सोहनलाल यादव तथा आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता से रिश्वत लेनदेन वार्तालाप हुई थी, उक्त वार्ता को परिवादी श्री सोहनलाल यादव द्वारा उसको एसीबी कार्यालय झालावाड़ द्वारा सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया था। उसका एफएसएल से परीक्षण करवाने हेतु जरिये फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस दिया गया तो आरोपी श्री उज्ज्वल तिवारी ने फर्द पर ही स्वंय के

हस्तलेख में लिखकर दिया कि " मैं अपनी आवाज का स्वैच्छा से नमूना नहीं देना चाहता हूँ " अंकित कर हस्ताक्षर किये। उक्त कार्यवाही की फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 12:30 एएम पर मौके की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। मौके से परिवादी श्री सोहनलाल यादव को ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पहुंचने की हिदायत देकर अपने पेट्रोल पम्प से अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर झालावाड़ के लिए रवाना होने के निर्देश दिये गये तथा आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता के किराये के मकान की खाना तलाशी लिया जाना आवश्यक होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ के गिरफ्तार शुदा आरोपीगण श्री अर्जुन देव पाटीदार व श्री उज्ज्वल तिवारी को साथ लेकर मय ट्रेप बॉक्स, टॉर्च, लेपलॉट प्रिन्टर व जब्त शुदा आर्टिकल्स इत्यादी लेकर सरकारी व प्राईवेट वाहनों से मय चालक श्री छोटूलाल कानि0 के आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार का किराये के मकान का मालिक श्री राजेन्द्र जैन निवासी सेठान मोहल्ला पिड़ावा के लिए रवाना हुआ। समय 12:40 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उपरोक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान, एसीबी जाप्ता व दोनों गिरफ्तारशुदा आरोपीगणों श्री अर्जुन देव पाटीदार व श्री उज्ज्वल तिवारी के सरकारी व प्राईवेट वाहनों से बाद ट्रेप कार्यवाही स्थल नगरपालिका पिड़ावा से रवाना होकर आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार के किराये का कमरा वाले मकान श्री राजेन्द्र जैन निवासी सेठान मोहल्ला पिड़ावा पहुंचे। समय का अभाव होने, रात्रि का समय होने एवं साक्ष्य नष्ट होने की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए तलाशी वारण्ट प्राप्त किया सम्भव नहीं है। अतः आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार से उसके किराये के मकान के कमरे का ताला खुलवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार से किराये के मकान के कमरे की तलाशी लेने हेतु सहमति चाही गई तो उसके द्वारा कमरे की तलाशी लेने हेतु अपनी मौखिक सहमति दी तथा आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार ने बताया कि उक्त मकान श्री राजेन्द्र जैन निवासी सेठान मोहल्ला पिड़ावा का है जो एक मंजिला भवन है जिसमें आगे कि और बना उक्त कमरा मैंने किराये पर ले रखा है जिसकी खाना तलाशी नियमानुसार ली गयी तो खाना तलाशी के दौरान कोई बहुमूल्य वस्तु जैसे नकदी, आभूषण, स्थायी सम्पत्तियों सम्बंधी दस्तावेजात नहीं मिले और ना ही कोई वस्तु/दस्तावेज जब्त कर कब्जे ब्यूरो ली गयी। फर्द खाना तलाशी पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी तथा फर्द खाना तलाशी की एक प्रति आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार को दी गयी। समय 01:30 एएम पर आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार के किराये के मकान के कमरे की खाना तलाशी लेने की कार्यवाही सम्पूर्ण होने के पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान हमराहियान जाब्ता व मौके से जब्त शुदा व बरामद शुदा माल बतौर वजह सबूत, रिश्वत राशि के 40,000रूपये का लिफाफा तथा धोवन के सैम्पल इत्यादि व दोनों आरोपीगणो को साथ लेकर सरकारी व प्राईवेट वाहनों से एसीबी चौकी झालावाड़ के लिए रवाना हुआ। समय 02:50 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान दोनों स्वतन्त्र गवाहान, ब्यूरो स्टाफ मय आरोपीगणों के साथ सरकारी व प्राईवेट वाहनों से ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पहुँचा। जहां पर परिवादी श्री सोहनलाल यादव पूर्व से ही इंतजार करता हुआ उपस्थित मिला। ट्रेप कार्यवाही के दौरान मौके से जब्त शुदा व बरामद शुदा माल बतौर वजह सबूत, रिश्वत राशि के 40,000रूपये तथा धोवन के सैम्पल, रिकॉर्डेड वार्ता सम्बंधी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर इत्यादि श्री शिवराज कानि0 166 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इंद्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना रखवाये गये। समय 03:00 एएम पर आरोपीगण श्री अर्जुन देव पाटीदार व श्री उज्ज्वल तिवारी को वास्ते सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ की हवालात में बंद करवाने हेतु तहरीर देकर जरिये श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 व श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 के साथ जरिये सरकारी बोलेरो वाहन से भिजवाया गया जो समय 03:20 एएम आरोपीगण श्री अर्जुन देव पाटीदार व श्री उज्ज्वल तिवारी को वास्ते सुरक्षा पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ की हवालात में बन्द कर जरिये सरकारी बोलेरो से श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 व श्री हर्ष कुमार कानि0 234 कार्यालय में हाजिर आये। समय 03:25 एएम पर परिवादी श्री सोहनलाल यादव व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री अक्षय कुमार बैरवा व श्री महावीर गुर्जर की मौजूदगी में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश देकर श्री शिवराज कानि. नं. 166 को मौके पर परिवादी श्री सोहनलाल यादव द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किये गये तथा मालखाना में सुरक्षित रखवाये गये रिकॉर्डेड वार्ता सम्बंधी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को पुनः श्री शिवाराज कानि0 नं0 166 के जरिये मालखाना से निकलवाया गया। जिसके बारे में दोनों स्वतंत्र गवाहान को समझाया गया कि दिनांक 22.08.2023 को परिवादी श्री सोहनलाल यादव एवं आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता तथा अधिशाषी अधिकारी के मध्य नगरपालिका पिड़ावा में रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्तालाप हुई है जिसे परिवादी श्री सोहनलाल यादव द्वारा उसको सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड में उसके द्वारा वार्तालाप के दौरान रिकॉर्ड किया गया है। अतः उक्त वार्तालाप को श्री पवन कुमार कानि0 28 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड से कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री सोहनलाल यादव के समक्ष वार्ता को कम्प्यूटर के स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनाया गया, तो रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री सोहनलाल यादव ने एक आवाज स्वंय की व दूसरी आवाज आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता तथा आवाज श्री राधेश्याम छींपा अधिशाषी अधिकारी की होना बताया। वार्ता की

हूबहू कम्प्यूटर से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्तालाप मेरे निर्देशन में श्री पवन कुमार कानि0 नं0 28 द्वारा तैयार करवाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 05:00 एएम पर दिनांक 22.08.2023 को ही परिवादी श्री सोहनलाल यादव एवं आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता तथा आरोपी श्री उज्ज्वल तिवारी के मध्य नगरपालिका पिड़ावा में रिश्वत लेनदेन वार्तालाप हुई है जिसे परिवादी श्री सोहनलाल यादव द्वारा उसको सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड में उसके द्वारा वार्तालाप के दौरान रिकॉर्ड किया गया है। अतः उक्त वार्तालाप को श्री पवन कुमार कानि0 28 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड से कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री सोहनलाल यादव के समक्ष वार्ता को कम्प्यूटर के स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनाया गया, तो रिश्वत लेनदेन वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री सोहनलाल यादव ने एक आवाज स्वंय की व दूसरी आवाज आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता तथा तीसरी आवाज आरोपी श्री उज्ज्वल तिवारी की होना बताया। वार्ता की हूबहू कम्प्यूटर से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेनदेन वार्तालाप मेरे निर्देशन में श्री पवन कुमार कानि0 नं0 28 द्वारा तैयार करवाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 06:30 एएम पर दिनांक 17.08.2023 को परिवादी श्री सोहनलाल यादव व आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता के मध्य रिश्वत की मांग से संबंधित वार्तालाप हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप दिनांक 21.08.2023 को समय 08.10 एएम पर तैयार की गई थी व दिनांक 21.08.2023 को रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्तालाप के समय परिवादी श्री सोहनलाल यादव व आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता के मध्य वार्ता हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्तालाप दिनांक 21.08.2023 को समय 07.45 पीएम पर तैयार की गई थी तथा दिनांक 22.08.2023 को समय 02.48 पीएम पर रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्तालाप के समय परिवादी श्री सोहनलाल यादव व आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता तथा श्री राधेश्याम छींपा अधिशाषी अधिकारी के मध्य वार्ता हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्तालाप दिनांक 23.08.2023 को समय 03.25 एएम पर तैयार की गई थी व दिनांक 22.08.2023 को समय 06.40 पीएम वक्त रिश्वत लेनदेन के समय परिवादी श्री सोहनलाल यादव व आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता एवं आरोपी श्री उज्ज्वल तिवारी कम्प्यूटर ऑपरेटर(संविदाकर्मी) के मध्य आपस में वार्ता हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 23.08.2023 को समय 05.00 एएम पर तैयार की गई थी। उक्त चारों वार्ताओं को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से कार्यालय कम्प्यूटर में लेकर सेव किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री पवन कुमार कानि0 नं0 28 के द्वारा जरिये कम्प्यूटर पांच पैन ड्राईव तैयार करवाये गये, जिसमें एक पेन ड्राईव आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता के लिये, एक पेन ड्राईव आरोपी श्री उज्ज्वल तिवारी कम्प्यूटर ऑपरेटर(संविदाकर्मी) के लिए, एक पेन ड्राईव नमूना आवाज हेतु तथा एक पेन ड्राईव माननीय न्यायालय हेतु कपड़े की थेली में अलग–अलग रखकर चार पेन ड्राईव को सील मोहर की गई तथा एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के सुनने हेतु तैयार कर रखा गया तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत राशि लेनदेन प्रयास वार्ता तथा वक्त रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता जो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड (Sandisk Ultra 32GB micro SD HC I A1 2376TXC3KOHT BM MADE IN TAIWAN) में रिकॉर्ड की गई थी उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर बजह सबूत माननीय न्यायालय हेतु पृथक से एक कपड़े की थेली में रखकर शिल्डचिट किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द डबिंग सीडी पृथक से तैयार करवाकर सीडी व फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल पत्रावली की गयी।

सम्पूर्ण कार्यवाही व हालात से पाया गया कि दिनांक 17.08.2023 को श्री सोहनलाल यादव पुत्र श्री अमरलाल जाति जाटव उम्र 62 वर्ष निवासी मकान नं0 18 हरीशचन्द्र कॉलोनी, झालरापाटन जिला झालावाड़ (राज0) ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पर स्वंय उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पेश किया था। परिवादी श्री सोहनलाल यादव के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन करने पर परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा उस पर स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया है तथा परिवादी ने मजमून दरियाफ्त पर बताया कि उसका पिड़ावा में अमरदीप पेट्रोलियम नाम से पेट्रोल पम्प है तथा पेट्रोल पम्प के पास ही उसकी तीन दुकाने भी पूर्व से ही बनी हुई है। तीनों दुकानों के ऊपर दूसरी, तीसरी मंजिल का निर्माण कार्य कराने के लिए नगरपालिका पिड़ावा से निर्माण स्वीकृति जारी कराने हेतु उसने दिनांक 14.07.2023 को अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल पिड़ावा को भवन निर्माण स्वीकृति सम्बंधी आवेदन पत्र भरकर वांछित दस्तावेजात के साथ तथा शुल्क राशि के चेक को संलग्न कर पत्रावली लगा रखी है। परन्तु एक माह से भी अधिक अवधि व्यतीत होने के उपरान्त निर्माण स्वीकृति जारी नहीं की गई है तथा निर्माण स्वीकृति जारी करने के लिए आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता नगरपालिका पिड़ावा से सम्पर्क किया तो उसने निर्माण स्वीकृति जारी करने के लिए 50,000रूपये रिश्वत राशि की मांग की है तथा 40,000रूपये रिश्वत राशि देने पर सहमति दी है तथा यह भी

बताया कि इस रिश्वत राशि में से नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी श्री राधेश्याम छींपा तथा श्री पदम नवीन वरिष्ठ सहायक निर्माण शाखा नगरपालिका पिड़ावा को भी क्रमशः 10,000रूपये तथा 15,000रूपये देने पड़ेगें। रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप दिनांक 17.08.2023 के दौरान रिश्वत राशि के 40,000रूपये आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता द्वारा मांगने की पुष्टि होने तथा दिनांक 21.08.2023 को रिश्वत राशि लेनदेन प्रयास वार्तालाप के दौरान भी रिश्वत राशि के 40,000रूपये प्राईवेट व्यक्ति को दिलवाने का कहने तथा परिवादी द्वारा मना करने पर दिनांक 22.08.2023 को अधिशाषी अधिकारी श्री राधेश्याम छींपा व श्री पदम नवीन वरिष्ठ सहायक भूमि निर्माण शाखा के आने पर रिश्वत राशि लेकर पुनः बुलाने तथा दिनांक 22.08.2023 को हुए रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्तालाप व रिश्वत लेनदेन वार्तालाप से परिवादी श्री सोहनलाल यादव के पेण्डिंग कार्य की एवज में आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार द्वारा रिश्वत राशि के 40,000रूपये परिवादी श्री सोहनलाल यादव को आरोपी श्री उज्ज्वल तिवारी को देने का कहने पर आरोपी श्री उज्ज्वल तिवारी द्वारा परिवादी श्री सोहनलाल यादव से रिश्वत राशि के 40,000रूपये प्राप्त कर गिनकर अपनी टेबल की बायीं और स्थित लोहे की ऊपर की रेक में कागज के ऊपर रखना तथा वहां से रिश्वत राशि बरामद होना तथा रिश्वत राशि देने के उपरान्त आरोपी श्री उज्ज्वल तिवारी द्वारा परिवादी श्री सोहनलाल यादव के पेण्डिंग कार्य निर्माण स्वीकृति के कागजात सुपुर्द कर कार्यालय पत्रावली पर हस्ताक्षर कराना तथा मौके से परिवादी के द्वारा लगायी गयी भवन निर्माण स्वीकृति की कार्यालय पत्रावली जब्त कर अवलोकन किया जाने पर पत्रावली में जरिये क्रमांक 1256 दिनांक 11.08.2023 को ही भवन निर्माण स्वीकृति अधिशाषी अधिकारी द्वारा जारी किया जाना पाया गया है। पत्रावली की नोटशीट में श्री पदम नवीन वरिष्ठ सहायक, आरोपी श्री अर्जुन देव पाटीदार कनिष्ठ अभियंता तथा श्री राधेश्याम छींपा अधिशाषी अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुए है। परन्तु निर्माण स्वीकृति जारी करने तथा अन्य पृष्ठों पर भी दिनांक अंकित नहीं है। इस सम्बंध में अनुसंधान के दौरान स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। आरोपीगणों का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपी श्री अर्जुन देव पुत्र श्री कैलाशचन्द जाति पाटीदार उम्र 30 साल निवासी डूंगरगांव तहसील/थाना असनावर जिला झालावाड़ हाल कनिष्ठ अभियंता नगरपालिका मण्डल पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज0) व श्री उज्ज्वल तिवारी पुत्र श्री श्यामलाल तिवारी जाति ब्राह्मण उम्र 23 साल निवासी हेमड़ा तहसील/थाना सुनेल जिला झालावाड़ हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी) नगरपालिका मण्डल पिड़ावा जिला झालावाड़(राज0) तथा अन्य के विरूद्ध जुर्म अंर्तगत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी आईपीसी का अपराध घटित होना पाया जाने पर उक्त आरोपीगणों के विरूद्ध उक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक सी0पी0एस0 ब्रनिब्यूरो जयपुर को प्रेषित की जावेगी।

(भवानी शंकर मीणा)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
झालावाड़।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भवानी शंकर मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री अर्जुन देव पुत्र श्री कैलाशचन्द हाल कनिष्ठ अंभियता नगरपालिका मण्डल पिड़ावा, जिला झालावाड़ एवं 2. श्री उज्जवल तिवारी पुत्र श्री श्यामलाल तिवारी हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी) नगरपालिका मण्डल पिड़ावा, जिला झालावाड एवं अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 230/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

भवदीय,

23.8.23

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 2652-55 दिनांक 23.08.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका पिड़ावा, जिला झालावाड़।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़।

23.8.23

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।